## LEGISLATIVE ASSEMBLY NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI Bulletin Part-I

## (Brief summary of proceedings)

Wednesday, 02 December, 2015/11 Margshirsha, 1937 (Saka) No. 23

2.02 P.M. Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair

- 1. 2.03 P.M. **Special Mention(Rule-280):-** The following Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair:-
  - 1. Sh. S.K. Bagga
  - 2. Sh. Ved Prakash (Minister of Transport intervened.)
  - 3. Sh. Rajender Pal Gautam
  - 4. Sh. Sukhbir Singh Dalal
  - 5. Sh. Vijender Garg
  - 6. Sh. Mahender Goel
  - 7. Ms. Bhavna Gaur (The Chair congratulated Ms. Bhavna Gaur on her Birthday.)
  - 8. Sh. Vijender Gupta (Dy. Chief Minister intervened.)
  - 9. Sh. Som Dutt (Minister of Power intervened.)
  - 10. Sh. Gulab Singh

(Sh. Narayan Dutt Sharma stated that thousands of people were stranded at the Chennai international airport due to flooding of the runway. Sh. Somnath Bharti demanded that the aforesaid flood situation in Tamilnadu be declared as national crisis.)

(Sh. Anil Kumar Bajpai, Sh. Ajay Dutt and Sh. Jitender Singh Tomar also made brief references on three different subjects.)

2. 3.02 P.M. Sh. Nitin Tyagi sought to know about the notice of breach of privilege and contempt (under Rule-66) given by him against Sh. Pankaj Pushkar.

He made a brief statement on the aforesaid issue with the permission of the Chair.

Hon'ble Speaker referred the aforesaid matter to the Privilege Committee.

Sh. Pankaj Pushkar also sought to know about the notice of breach of privilege and contempt (under Rule-66) given by him.

The Chair stated that the aforesaid notice was under his consideration and ruling will be given at an appropriate time.

3. 3.20 P.M. **Presentation of Report:** 

Sh. Narayan Dutt Sharma presented the *First Report* of **Ethics** Committee (VI Legislative Assembly, NCT of Delhi).

4. 3.21 P.M. Paper laid on the Table:

**Sh. Manish Sisodia, Dy. Chief Minister** laid the copy of the Explanatory Memorandum regarding the action taken on the recommendation made by the Fourth Delhi Finance Commission alongwith the report of the Fourth Delhi Finance Commission.

- 5. 3.22 P.M. Calling Attention (Rule-54):
  - 1. Sh. Rajender Pal Gautam called the attention of the House towards slow process of recruitment by Delhi Subordinate Services Selection

The following Members also expressed their views:-

- 2. Sh. Surender Singh
- 3. Sh. Jarnail Singh (Tilak Nagar)
- 4. Ch. Fateh Singh

**Sh. Manish Sisodia, Dy. Chief Minister** made a brief statement on the issue raised by Sh. Rajender Pal Gautam.

6. 3.32 P.M. **2. Sh. Somnath Bharti** called the attention of the House towards non-constitution of Thana Level Committees in Delhi.

The following Members also expressed their views:-

- 2. Sh. Ajay Dutt
- 3. Ms. Sarita Singh
- 4. Col. Devender Sehrawat
- 5. Ms. Alka Lamba
- 6. Sh. Jarnail Singh (Tilak Nagar)

**Sh. Satyendar Jain, Minister of Home** made a brief statement on the issue raised by Sh. Somnath Bharti.

7. 3.50 P.M. Statement by Minister of Tourism & Water (Under Rule-270(1)(b): Sh. Kapil Mishra, Minister of Tourism & Water made the following statement in the House:

"We all are aware that instances of harassment, physical & mental torture and even death of brides for want of dowry have increased significantly in recent times. As public representatives & members of this August House, it is our moral and social obligation to take all possible steps to curb this menace and social evil of dowry.

I hereby propose that we as public representatives should attend only those marriages where there is no demand and exchange of dowry. I also urge the government to take steps to encourage, motivate and support those persons who want to promote dowry free marriages."

The following Members also expressed their views:-

- 2. Sh. Praveen Kumar
- 3. Ms. Alka Lamba
- 4. Smt. Bandana Kumari
- 5. Sh. Satyendar Jain, Minister of Health also participated in the discussion and moved the following Resolution:

"This House resolves that no member of the House shall either demand or give dowry for his or her own marriage or for his family members and shall not attend marriages where they are aware that dowry has been demanded or given.

This House also resolves that the Government shall take all steps to encourage, motivate and support those persons who want to promote dowry free marriages."

The Resolution was put to vote and adopted.

- 8. 4.04 P.M. The Chair adjourned the House upto 4.30 P.M. for Tea Break.
- 9. 4.32 P.M. House reassembled. Hon'ble Speaker in- Chair.
- 10. 4.39 P.M. Consideration of Bills:
  - 1. Sh. Gopal Rai, Minister of Labour moved that "Minimum Wages (Delhi) Amendment Bill, 2015." introduced on 26 November, 2015 be taken into consideration.

The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

2. Sh. Gopal Rai, Minister of Labour moved that "The Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions (Delhi Amendment) Bill, 2015" introduced on 26 November, 2015 be taken into consideration.

The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

- 11. 4.42 P.M. The following Members participated in the debate on the Bills introduced by Sh. Gopal Rai, Minister of Labour :
  - 1. Sh. Rajender Pal Gautam
  - 2. Sh. Naresh Yadav
  - 3. Sh. Pawan Sharma
  - 4. Sh. Jagdish Pradhan
  - 5. Sh. Anil Kumar Bajpai
  - 6. Sh. Madan Lal
  - 7. Sh. Jagdeep Singh
  - 8. Sh. Saurabh Bhardwaj
  - 9. Sh. Jarnail Singh (Rajouri Garden)
  - 10. Sh. Somnath Bharti (also suggested changes in the Bills)
  - 11. Sh. Vijender Gupta
- 12. 6.00 P.M. **Sh. Arvind Kejriwal, Chief Minister** also expressed his views on the aforesaid Bills.
- 13. 6.15 P.M. The House agreed to extend the sitting upto 6.30 P.M.
- 14. 6.17 P.M. Sh. Gopal Rai, Minister of Labour replied to the debate.
- 15. 6.25 P.M. The Chair adjourned the House upto 2.00 PM on Thursday, 03 December 2015.

Delhi

Prasanna Kumar Suryadevara

02 December, 2015

**Secretary** 

## विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

समाचार भाग—1 कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख बुधवार, 02 दिसम्बर, 2015/मार्गशीर्ष 11, 1937(शक)

संख्या—23 2.02 बजे

श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।

1 2.03 बजे

विशेष उल्लेख (नियम-280) :

निम्नलिखित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम-280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाए गए:-

- 1 श्री एस.के.बग्गा
- 2 श्री वेद प्रकाश (परिवहन मंत्री ने हस्तक्षेप किया)
- 3 श्री राजेन्द्र पाल गौतम
- 4 श्री सुखबीर सिंह दलाल
- 5 श्री विजेन्द्र गर्ग
- 6 श्री महेन्द्र गोयल
- 7 सूश्री भावना गौड़

(अध्यक्ष महोदय ने सुश्री भावना गौड़ को उनुके जन्म दिवस पर बधाई दी)

- 8 श्री विजेन्द्र गुप्ता (उप मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया)
- 9 श्री सोम दत्त (ऊर्ज़ा मंत्री ने हस्तक्षेप किया)
- 10 श्री गुलाब सिंह

(श्री नारायण दत्त शर्मा ने कहा कि चेन्नई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर बाढ़ के कारण हजारों लोग फंसे हुए हैं। श्री सोमनाथ भारती ने तमिलनाडु में बाढ़ की स्थिति को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की)

(श्री अनिल कुमार बाजपेयी, श्री अजय दत्त एवं श्री जितेन्द्र सिंह तोमर ने भी तीन विभिन्न विषयों पर अपने संक्षिप्त विचार व्यक्त किए)

2. 3.02 बजे

'श्री नितिन त्यागी ने नियम-66 के अंतर्गत उनके द्वारा श्री पंकज पुष्कर के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन तथा अवमानना की सूचना के संबंध में जानना चाहा। उन्होंने अध्यक्ष महोदय की अनुमित से उपरोक्त विषय पर संक्षिप्त वक्तव्य दिया। अध्यक्ष महोदय ने उपरोक्त विषय विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया। श्री पंकज पुष्कर ने भी उनके द्वारा नियम-66 के अंतर्गत दी गई विशेषाधिकार हनन तथा अवमानना की सूचना के संबंध में जानना चाहा। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उक्त सूचना उनके विचाराधीन है तथा उचित समय आने पर इस संबंध में व्यवस्था दी जाएगी।

- 3. 3.20 बजे सिमिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण श्री नारायण दत्त शर्मा ने आचार सिमिति (छठी विधान सभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) का प्रथम प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया।
- 4. 3.21 बजे सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात :श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री ने चौथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों पर की
  गई कार्यवाही के व्याख्यात्मक ज्ञापन सिहत चौथे दिल्ली वित्त आयोग के प्रतिवेदन की
  प्रति सदन पटल पर रखी।
- 5. 3.22 बजे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (नियम-54)

  1. श्री राजेन्द्र पाल गौतम ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा भर्ती की धीमी प्रक्रिया
  के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित किया ।

  निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए :-
  - 2. श्री सुरेन्द्र सिंह
  - 3. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
  - 4. चौ. फतेह सिंह
  - श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री ने श्री राजेन्द्र पाल गौतम द्वारा उठाये गये मामले पर संक्षिप्त वक्तव्य दिया।
- 6. 3.32 बजे **2. श्री सोमनाथ भारती** ने दिल्ली में थाना स्तरीय समितियों का गठन न होने के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित किया । निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए :-
  - 2. श्री अजय दत्त
  - 3. सूश्री सरिता सिंह
  - 4. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
  - 5. सुश्री अलका लाम्बा
  - 6. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
  - श्री सत्येन्द्र जैन, स्वास्थ्य मंत्री ने श्री सोमनाथ भारती द्वारा उठाये गये मामले पर संक्षिप्त वक्तव्य दिया।
- 7. 3.50 बजे पर्यटन एवं जल मंत्री द्वारा वक्तव्य (नियम-270 (1) (ख)) : श्री कपिल मिश्रा, पर्यटन एवं जल मंत्री ने सदन में निम्नलिखित वक्तव्य दिया:

"हम सब को ज्ञात है कि हाल के दिनों में दहेज की मांग के लिए दुल्हनों के उत्पीड़न, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना और यहां तक कि उनकी मृत्यु के मामलों में काफी वृद्धि हुई है। जन-प्रतिनिधि और इस सम्मानित सदन के सदस्यों के रूप में, इस बुराई और दहेज की सामाजिक कुरीति पर अंकुश लगाने के लिए हरसंभव कदम उठाना हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व है।

मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि हमें जन प्रतिनिधि के रूप में केवल उन विवाह समारोहों में जाना चाहिए, जहां दहेज का आदान-प्रदान न हो। मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि उन व्यक्तियों को प्रोत्साहन, प्रेरणा और समर्थन दिया जाये जो दहेज मुक्त विवाह को बढ़ावा देना चाहते हैं।"

ैनिम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए :-

- 2. न्श्री प्रवीण कुमार
- 3. सुश्री अलका लाम्बा
- 4. श्रीमती बंदना कुमारी
- 5. श्री सत्येन्द्र जैन, स्वास्थ्य मंत्री ने भी चर्चा में भाग लिया और निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि :

"यह सदन संकल्प करता है कि इस सदन का कोई भी सदस्य अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की शादी में न तो दहेज की मांग करेगा, न दहेज देगा तथा न ही ऐसे विवाह में सम्मिलित होगा जहां उन्हें यह ज्ञात हो जाये कि दहेज की मांग की गई है या दहेज दिया गया है।

यह सदन यह भी संकल्प करता है कि सरकार उन व्यक्तियों को प्रोत्साहन, प्रेरणा और समर्थन देने के लिए सभी कदम उठायेगी जो दहेज मुक्त विवाह को प्रोत्साहन देना चाहते हैं।"

•संकल्प मतदान के लिए रख़ा गया तथा स्वीकार हुआ।

- 8. 4.04 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही जलपान अवकाश हेतु अपराहन 4.30 बजे तक के लिये स्थिगित की।
- 9. 4.32 बजे **सदन पुन: समवेत हुआ।** अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
- 10. 4.39 बजे विधेयकों पर विचार :
  - 1. श्री गोपाल राय, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दिनांक 26 नवम्बर, 2015 को सदन में पुर:स्थापित "न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 13)" पर विचार किया जाए। प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।
  - 2. श्री गोपाल राय, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दिनांक 26 नवम्बर, 2015 को सदन में पुर:स्थापित "कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 12)" पर विचार किया जाए। प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।
- 11. 4.42 बजे श्री गोपाल राय, श्रम मंत्री द्वारा पुर:स्थापित विधेयकों पर चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-
  - 1. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
  - 2. श्री नरेश यादव
  - 3. श्री पवन शर्मा
  - 4. श्री जगदीश प्रधान
  - 5. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
  - 6. श्री मदन लाल

7. श्री जगदीप सिंह 8. श्री सौरभ भारद्वाज 9. श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) 10.श्री सोमनाथ भारती (विधेयकों में परिवर्तन का भी सुझाव दिया) 11.श्री विजेन्द्र गुप्ता 🔹 श्री अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री ने भी उपरोक्त विधेयकों के संबंध में अपने 12. 6.00 बजे विचार व्यक्त किए। सदन ने 6.30 बजे तक बैठक की अवधि बढ़ाने पर सहमति दी। 13. 6.15 बजे श्री गोपाल राय, श्रम मंत्री ने चर्चा का उतर दिया। 14. 6.17 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही वीरवार, 03 दिसम्बर, 2015 को अपराहन 2.00 6.25 बजे 15. बजे तक के लिए स्थगित की।

दिल्ली 02 दिसम्बर, 2015 प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा सचिव